Nai Dunia (Indore), 25th February 2011, Page-1

आईआईटी जमीन मामला

परिसर में हरियाली से होगी भरपाई

इंदौर (नप्र)। आईआईटी को आवंटित जमीन के उपयोग परिवर्तन पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद राज्य शासन द्वारा तुरंत नया प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा रहा है। राज्य शासन का मानना है कि आपत्ति का निराकरण किया जा सकता है। दो दिनों की कवायद के बाद जिला प्रशासन ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे शासन के माध्यम से दिल्ली भेजा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार राज्य शासन के नए प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्व में भी वन विभाग की 80 हेक्टेयर जमीन की विस्तृत जानकारी भेजी गई थी। इसमें आईआईटी द्वारा वन क्षेत्र में निर्माण होने के बाद की भरपाई का उल्लेख था। आईआईटी को दी गई वन विभाग की 80 हेक्टेयर भूमि की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग को 37 हे. जमीन महू क्षेत्र के सीतावन में, 26 हे. जमीन सिवनी में, 17 हे. जमीन सिमरोल क्षेत्र में दी जा चुकी है। वन विभाग ने 50 हे. वन क्षेत्र के विकास की पूरी जानकारी व 30 हे. जमीन पर प्रोजेक्ट बनाकर भेजने की बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को बताई थी। -शेष पेज 7 पर

परिसर में... (पेज 1 से जारी)

बावजूद इसके केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति द्वारा आपत्ति लेने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इधर, अधिकारियों ने समिति द्वारा निकाली गई खामियों को दूर करने के लिए विकल्प की तलाश कर ली है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार हाल ही में आईआईटी से बिल्डिंग ले-आउट प्लान माँगा गया है। इसमें वन क्षेत्र की चिह्नित जमीन के उपयोग की जानकारी चाही गई है। यह भी जानकारी माँगी गई है 7 हजार में से कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। प्रस्ताव में पर्यावरण मंत्रालय की समिति को जमीन क्लीयरेंस के नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की बात भी कही जा रही है। आईआईटी का पूरा परिसर 500 से 700 एकड़ में बनेगा। निर्माण में वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई तो इस परिसर की हरियाली से भी की जा सकती है।

मालूम हो कि 11 फरवरी को पर्यावरण मंत्रालय की फारेस्ट एडवायजरी कमेटी की बैठक में जमीन के उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को छः बिंदुओं के आधार पर खारिज किया गया था। उसमें कहा गया कि नियमों के मुताबिक एक हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल का डायवर्शन संभव नहीं है। राज्य शासन ने चोरल रेंज में 80 हेक्टेयर वन क्षेत्र का भू-उपयोग आईआईटी कैंपस के निर्माण के लिए बदलने का प्रस्ताव भेजा था। आपत्तियों के साथ कमेटी ने स्पष्ट कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के पैरा 4.5 के अनुसार लोगों के हित के लिए बनने वाले भवनों के लिए वन क्षेत्र के डायवर्शन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे निर्माण में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, ग्रामीण उद्योग आदि शामिल है। हालाँकि इस स्थिति में भी नियम अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति देता है। इसलिए 80 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

स्पष्ट नहीं प्रस्ताव : कमेटी ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई कि जमीन का बताया गया हिस्सा आरक्षित वन क्षेत्र है। इसमें 7164 पेड़ हैं। राज्य शासन ने आईआईटी के निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना नहीं भेजी। जिससे यह साफ हो सके कि कहाँ किस तरह का निर्माण होना है। राज्य सरकार ने इस जमीन के बदले हासलपुर में वन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया था। कमेटी के अनुसार हासलपुर क्षेत्र की 30.177 हेक्टेयर जमीन वन क्षेत्र को बसाने के लिए अनुकूल नहीं लगती।

हमारे साथ चर्चा कर ली होती

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रो. प्रदीप माथुर ने बताया कि यदि राज्य सरकार डायवर्शन प्रोजेक्ट भेजने से पहले एक बार आईआईटी प्रशासन से चर्चा कर लेता तो यह स्थिति नहीं आती। सरकार को आईआईटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ प्रस्ताव को तैयार करना था। मंत्रालय को भी इसका विस्तृत खाका भेजा जाना चाहिए था। हम रास्ता निकालने के लिए एमएचआरडी से चर्चा कर रहे हैं।